

**बिहार सरकार
सहकारिता विभाग**

पत्रांक/पटना, दिनांक—
06/पणन(स0)—92/2026

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक.),
बिहार, पटना।

विषय :- बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत वेजफेड के त्रि-स्तरीय सहकारी श्रृंखला के सुदृढीकरण एवं विस्तार के उद्देश्य से 534 प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों (2,00,000/- रुपये प्रति समिति) एवं 09 सब्जी संघों (10,00,000/- रुपये प्रति संघ) को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रु0 11,58,00,000/- (ग्यारह करोड़ अष्टावन लाख) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत वेजफेड के त्रि-स्तरीय सहकारी श्रृंखला के सुदृढीकरण एवं विस्तार के उद्देश्य से 534 प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों (2,00,000/- रुपये प्रति समिति) एवं 09 सब्जी संघों (10,00,000/- रुपये प्रति संघ) को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रु0 11,58,00,000/- (ग्यारह करोड़ अष्टावन लाख) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजनान्तर्गत पूर्व से गठित क्रियाशील संघों एवं समितियों के साथ-साथ नवगठित संघों व समितियाँ, जो अपने प्रारंभिक अवस्था में हैं, को दीर्घकाल में आत्मनिर्भर एवं लाभकारी व्यवसायिक संस्था के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ बनाने एवं व्यवसायिक गतिविधियों को विस्तार देने हेतु प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों तथा सब्जी संघों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी एवं उक्त राशि का उपयोग व्यवसाय वृद्धि हेतु चक्रीय पूँजी के रूप में किया जाएगा। समिति के द्वारा इस राशि का उपयोग केवल सब्जी क्रय-विक्रय से संबंधित गतिविधियों यथा-सब्जियों की खरीद-बिक्री, सब्जियों के परिवहन, भंडारण, पैकेजिंग एवं अन्य मूल्य संवर्द्धन में किया जाएगा। मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित करते हुए योजना का क्रियान्वयन वेजफेड द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उपर्युक्त राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-09, मुख्य शीर्ष-2425 सहकारिता, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-108 अन्य सहकारी समितियों को सहायता, उप शीर्ष-0116 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष-31 सहायता अनुदान, विषय शीर्ष-06 सहायक अनुदान-गैर वेतन, विपत्र कोड-09-2425001080116 अंतर्गत विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संयुक्त सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो उपलब्ध आवंटन के अन्तर्गत राशि की निकासी कर बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि0, पटना के खाते में स्थानांतरित करेंगे। इसके लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं संकल्प संख्या-7245 दिनांक-26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

6. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्यय पदाधिकारी

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग के पत्रांक 4989/वि0(2) दिनांक 16.05.2013 में अंकित तथ्यों का अनुपालन करेंगे। साथ ही उपर्युक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 18 (अठारह) माह के अंदर प्राप्त कर महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।
8. राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-29.07.2026 में मद सं0-20 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।
9. इस योजना के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या-4272 दिनांक-30.07.2026 में निर्धारित शर्त एवं दिशा-निर्देश लागू होंगे।
10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-06/पणन(स0)-92/2026 के पृष्ठ संख्या-26/टि0 पर दिनांक-18.08.2026 को प्राप्त है।
11. इसमें सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या-06/पणन(स0)-92/2026 के पृष्ठ संख्या-28/टि0 पर दिनांक-18.08.2026 को प्राप्त है।

ह०/-
(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक.....291...../पटना, दिनांक 19/08/26

06/पणन(स0)-92/2026

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफे के साथ।
2. अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, सहकारिता विभाग बिहार, पटना के निजी सहायक/महालेखाकार (लेखा परीक्षा, बिहार, पटना)/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि0, पटना/संयुक्त सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निबंधक/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-03 (बजट) सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विपत्र लिपिक कार्यालय निबंधक स0स0, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

8

सरकार के अपर सचिव।